कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच

Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

नीमच, दिनांक– 7.9.2020

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 5634

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग नीमच

विषयः– गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास विषयक।

सन्दर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 3528 दिनांक 01.09.2020 एवं उपवनमण्डलाधिकारी नीमच का पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 1340 दिनांक 29.08.2020 तथा वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ का पत्र क्रमांक / 2020 / मा.चि. / 772 दिनांक 29.08.2020.

विषयांकित प्रकरण में लेख हैं, कि नीमच वनमंडल को गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना में तहसील सिंगोली के ग्राम लुवां में निम्नानुसार भूमि आवंटित की जाकर हस्तांरित की गई हैं।

अ.क्र.	योजना का नाम	भूमि आवंटन का आदेश क्रमांक	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
01	गंगाबावड़ी तालाब योजना	क्रमांक / 10 / अ–20(3) / 2017–18 दिनांक 12.09.2018	56	4.11
			167	22.53
			168	1.61
02	बाणदा जलाशय	क्रमांक / 14 / अ–20(3) / 2019–20 दिनांक 07.08.2019	272	25.00
03	परवनी जलाशय		280	8.80

उपवनमंडलाधिकारी नीमच एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ द्वारा उनके संदर्भित पत्रों से अवगत कराया हैं, कि गंगाबावड़ी तालाब, बाणदा तालाब एवं परवनी जलाशय योजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले में प्राप्त उपरोक्त भूमि पर ग्राम लुवां के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा हैं। यहां राजस्व क्षेत्र में देवनारायण का मंदिर हैं। श्री देवनारायण मंदिर में ग्रामीणों की आस्था हैं। ग्राम लुवां के लोगो ने वन विभाग को हस्तांतरित क्षेत्र में सीमा पर सीमेंट खंभे गाड़कर पांच लाईन में बारबेड वायर फेंसिग रोड़ साईट 48 खंभे गाड़कर कर दिये है। क्षेत्र को ग्रामीणों ने 20–20 बीघा अपनी समझ से बांटकर निशानदेही कर दी हैं। फेंसिग का कार्य श्री देवनारायण मंदिर में आ रही दान राशि से किया गया हैं। वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ को ग्रामीणों ने कहा कि यह श्री देवनारायण की इच्छा से हो रहा हैं। हम लोग इस भूमि पर अतिक्रमण करेगें। हमें कोई नहीं रोक सकता। ग्रामीण अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में ग्रामीणों की धार्मिक भावना जुडी हुई हैं। उपरोक्तानुसार अतिक्रमण को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृ.क्र. / मा.चि. / 2020 / 5635

नीमच, दिनांक :– 7-9-2020

प्रतिलिपिः–

01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर , जिला नीमच की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच